



2026:AHC-LKO:2808-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

विशेष अपील संख्या - 458 सन 2014

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा लखनऊ
एवं अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

श्री रज़ा हैदर एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	आलोक कुमार त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।
2. यह अपील राज्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय-VIII नियम-5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 4549 (एस/एस) 2013 में दिनांक 26 फरवरी, 2014 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई है।
3. अपील विलंबित थी। यद्यपि विलंब को माफ कर दिया गया है, कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, श्री आलोक कुमार त्रिपाठी की ओर से उपस्थित श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संबंधित निर्णय का अनुपालन किया गया है।
4. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को प्रबंधन समिति द्वारा हामिद अली इंटर कॉलेज, पिहानी, हरदोई में क्लर्क के पद पर चयन के बाद नियुक्त किया गया था। हालांकि,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

डी.आई.ओ.एस. ने दिनांक 23.02.2013 के आदेश द्वारा इस चयन/नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया, जिसे प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने उपरोक्त रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

5. अनुमोदन अस्वीकार किए जाने का पहला कारण यह था कि विनियमों के नियम 101 के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था; दूसरा कारण यह था कि दिनांक 15.03.2012 के सरकारी आदेश के अनुसार सहायता प्राप्त संस्थानों में तृतीय श्रेणी के पद पर ऐसी नियुक्ति पर प्रतिबंध था; और तीसरा कारण यह था कि प्रबंधन समिति द्वारा समूह-ग नियमों का पालन नहीं किया गया था।

6. पूर्व स्वीकृति के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने **जगदीश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2006(3) यूपीएलबीईसी 2765** मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया है कि पूर्व स्वीकृति का अर्थ चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले की स्वीकृति नहीं है, बल्कि नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले की स्वीकृति है। इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय, **राजेंद्र यादव बनाम उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर और अन्य 1999(3) एडब्ल्यूसी 2123** मामले में भी भरोसा किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि यदि तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए उप शिक्षा निदेशक से स्वीकृति मांगी गई है, तो उन्हें इस मामले में दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेना चाहिए। विचाराधीन मामले में, कागजात 05.05.2012 को भेजे गए थे, लेकिन दो सप्ताह के भीतर निर्णय नहीं लिया गया।

7. किसी भी स्थिति में, जैसा कि रिट न्यायालय ने देखा है, यह अस्वीकृति का मामला इस आधार पर नहीं है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने कोई योग्यता पूरी नहीं की थी, या रिक्ति स्थायी नहीं थी, या वह नाबालिग था, या उसमें कोई अन्य अयोग्यता थी। इस संबंध में, **2013 एडीजे 274 (विपिन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** में प्रकाशित एक अन्य निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसके अनुसार मध्यवर्ती शिक्षा अधिनियम आदि में निहित वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर ऐसे सरकारी आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर लागू नहीं होते हैं।

8. समूह-ग नियमों के पालन के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि किस नियम का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, हम पाते हैं कि 1985 के नियमों का संदर्भ अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि ये नियम सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जबकि विचाराधीन महाविद्यालय एक सहायता प्राप्त महाविद्यालय है और भर्ती की शर्तें मध्यवर्ती शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होती हैं।

9. हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क में कोई त्रुटि नहीं मिली। इसके अलावा, चूंकि कोई स्थगन आदेश नहीं था, इसलिए निर्णय का अनुपालन पहले ही हो चुका है और अब 2026 चल रहा है। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी पहले से ही कार्यरत है। इसलिए, हमें आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

10. खारिज।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 13, 2026

एम.वी.एस/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।